— प्रेस नोट —

जनपद – मीरजापुर

थाना पड़री पुलिस द्वारा 10 वर्षीय बालक की हत्यारोपी दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 17.10.2020 को थाना पड़री क्षेत्र अंतर्गत दुबेपुर महेवा ग्राम निवासी बलिराम यादव का 10 वर्षीय पुत्र शनि दोपहर बाद गाय चराने घर से नदी की ओर निकला था, जो देर शाम तक घर वापस नहीं आया था। दिनांक 18.10.2020 को प्रातः खजुरी नदी में उक्त बालक का शव मिला था, थाना पड़री पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। इस सम्बन्ध में थाना पड़री पर मृतक के पिता बलिराम यादव द्वारा नामजद बोधई पुत्र स्व0 गोपी, रामजी पुत्र दुखरन, शान्ती देवी पत्नी बोधई निवासीगण दुबेपुर महेवा थाना पड़री मीरजापुर व राजमनी पुत्र लालचन्द्र निवासी मुल्हवा थाना पड़री मीरजापुर के विरूद्ध मु0अ0सं0-176/2020 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना, भौतिक साक्ष्य व पतारसी-सुरागरसी से यह तथ्य प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्तों ने पुरानी रंजीश व चोरी में उनकी पहचान मृतक द्वारा न उजागर की जाय इस कारण दिनांक 17.10.2020 को शनि की गला दबाकर हत्या कर शव को खजुरी नदी में फेक दिया था। आज दिनांक 28.10.2020 को प्र0नि0 वेंकटेश तिवारी थाना पड़री मय हमराह द्वारा प्राप्त मुखबिर खास की सूचना के आधार पर घटना के वांछित अभियुक्त 1- बोधई पुत्र स्व0 गोपी, 2- रामजी पुत्र स्व0 दुखरन निवासीगण दुबेपुर महेवा थाना पड़री मीरजापुर को समय 10.15 बजे मोहनपुर पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1- बोधई पुत्र स्व0 गोपी निवासी दुबेपुर महेवा थाना पड़री मीरजापुर, उम्र करीब-54 वर्ष।

2- रामजी पुत्र स्व0 दुखरन निवासी दुबेपुर महेवा थाना पड़री मीरजापुर, उम्र करीब-55 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

मोहनपुर पहाड़ी के पास, दिनांक 28.10.2020 समय 10.15 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

1- प्र0नि0 वेंकटेश तिवारी थाना पड़री मीरजापुर।

2- का0 भगवानदास यादव थाना पड़री मीरजापुर।

3- का0 संजय सिंह थाना पड़री मीरजापुर।

4- का0 वीरेन्द्र यादव थाना पड़री मीरजापुर।